सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 123/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

जगदीश पुत्र सूजा जाति गूर्जर निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. गोरी पत्नि स्व. बालू जाति गूर्जर
2. सायरी पुत्री स्व.बालू जाति गूर्जर
3. घीसी पुत्री स्व. बालू जाति गूर्जर
4. कालूराम पुत्र कल्याण जाति गुर्जर
5. सीमा पुत्र कल्याण जाति गूर्जर
6. काली देवी पुत्री कल्याण जाति गूर्जर
   निवासीगण ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 25.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कणोज में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 132 के खसरा नम्बर 221/2104, , 394, 1820, 1917, 1925, 1926, 1930 कुल किता 7 कुल रकबा 1.10 है. भूमि वादीगण/प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा , व प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा है व प्रतिवादीस. 4 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा है व इसी हिस्से अनुसार आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही होने के कारण मौके पर आराजीयात को काश्त करते समय व लगान अदा करते समय व फसल प्राप्त करते समय आपस में विवाद होता है व हर समय लडाई झगडा होने की संभावना बनी रहती है। वादग्रस्त आराजीयात को अलग– अलग बंटवारा कर संभलायी जावें। वादग्रस्त आराजीयात के वादी के 1/3 हिस्से में प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट कणोज में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीस.1 उपस्थित। हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजीयात में वादी/प्रतिवादीगण एंव पुश्तैनी सयुंक्त खातेदार आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 132 के खसरा नम्बर 221/2104, , 394, 1820, 1917, 1925, 1926, 1930 कुल किता 7 कुल रकबा 1.10 है. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त ,में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं न ही आराजीयात को बिना विधिक बंटवारे के बेचान हस्तान्तरण न करें। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी